न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. मृतक माणकलाल के बजाय उसे कायम मुकाम :–

1/1. नवनीत पिता माणकलाल जी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती कमली पुत्री पिता माणकलाल पत्नी खेम ंकर जी अहारी, निवासी ढेलाना, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती मीरा पुत्री माणकलाल पत्नी ंकर जी भगोरा, निवासी खणादरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती गीता पुत्री माणकलाल पत्नी भीमराज जी परमार, निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती हाजु देवी पत्नी माणकलाल जी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

2. मृतक कावाराम के बजाय उसे कायम मुकाम :–

2/1. रमे ा पिता कावाराम मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. बाबूलाल पिता कावाराम मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. राजकुमार पिता कावाराम मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती सुनीता पुत्री कावाराम पत्नी प्रका ा जी अहारी, निवासी सिसोदा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/5. श्रीमती कूरी पत्नी कावाराम मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

3. प्रका ा पिता कालाजी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

4. कालू पिता रमजी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

5. रामजी पिता लालूजी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

6. बं ीलाल पिता हरजी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

7. रूपलाल पिता हरजी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

8. हरनारायण पिता राजिंग जी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

9. नरेन्द्र पिता राजिंग जी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

10. कालू पिता कम जी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. दिने ा पिता दलजी मीणा, निवासी पोगरा कला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. विनोद पिता दलजी मीणा, निवासी पोगरा कला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रदीप पिता दलजी मीणा, निवासी पोगरा कला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. हरमिला पिता दलजी मीणा, निवासी पोगरा कला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा दिनांक 14.10.2019, प्र.सं. 111/05

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

———/———

निर्णय **दिनांक 16–11–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव पोगरा खुर्द में हकरा पिता हुक्मा मीणा के नाम जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में खाता संख्या 35 की कुल किता 8 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा एवं तेजा पिता हुक्मा मीणा के नाम खाता संख्या 13 में कुल किता 15 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी। इसी प्रकार तेजा, हकरा पिता हुक्मा मीणा के नाम खाता संख्या 15 में कुल किता 6 रकबा सवा 3 बीघा भूमि थी, जिस पर वादीगण एवं उनके परिवार वालों का कब्जा चला आ रहा है, क्योंकि गांव में मोगा पिता दला जी हत्या के कारण तेजा व हकरा गांव छोड़कर चले गये थे। इस प्रकार वादीगण का इस भूमि पर करीब 40 वर्शो से कब्जा होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादीगण को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–10–2019 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः देाहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का खण्डन नहीं हुआ है एवं वादीगण का वाद पूर्ण रूप से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। विवादित आराजियात पर अपीलान्टगण के मकान बने होकर निवास करते हैं तथा विवादित कृशि भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे एवं अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में डी.एन.जे. 2004 (S.C.) पेज 263, डी.एन.जे. 1999 (S.C.) पेज 243 एवं आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 411 की न्यायिक नजीरें पे ा की।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलान्टगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है, जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में देय नहीं है। अपीलान्टगण का यदि विवादित आराजियात पर किसी प्रकार का कब्जा है तो वह बतौर अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। अपीलान्टगण द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–10–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 16–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....एम.एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

मृतक माणकलाल के बजाय नवनीत पोगरा पिता माणकलाल जी मीणा, निवासी पोगरा खुर्द, तह0 खेरवाड़ा व अन्य	बनाम	दिने । पिता दलजी मीणा, निवासी कला, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं........2/2020.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............
............खेरवाड़ा........... मुकाम...............मुवर्खे............14..................माह...................10...................2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......16..........माह...........11.........सन् 2021 रूबरू.........पक्षकारान व हाजरी........श्री संजय बोहरा.......मिनजानिब अपीलान्ट व...

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14—10—2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X.......)............रूपये.......X...........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............16..............माह.............11............2021 को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested